

फर्द अहकाम

रहित

बनाम लरकार

ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 26/2023

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08/2/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्तु आदेश दिनांक 15/02/24 को पेश हो। लगा	
15/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहव वीर अब कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक...28/2/24...को पेश हो।	
28/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहव वीर अब कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक...2/4/24...को पेश हो।	
12/4/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप वास्तु आदेश पत्रावली दिनांक 09/5/24 को पेश हो। लगा	
09/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी कारण उपस्थित। पत्रावली पूर्व अनुसार दिनांक...13/05/2024 को पेश हो।	
13/05/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता को वादपत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है। वादीगण की ओर से यह वादपत्र वास्तु आदेशी खाता सं. 58 के खसरा नं. 67, 67/1, 67/2, 67/3 एवं खाता सं. 22 के खसरा नं. 76, 76/1 लगा. 76/5, 81, 93, 93/1 लगा 93/15 स्थित ग्राम दोपुर प. ह. श्रीवास्तव श. अ. नि	

लगा

फर्द अहकाम

बनाम सरकार

राजेश्वर

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्राधान्य पत्र/मुकदमा नम्बर : 26/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम दिनांक आज्ञा संख्या या कार्यवाही

बांखरवोट तह बस्ती जि. जयपुर के संबंध में वादी सं. ① का नाम रामूलाल के स्थान पर रामेश्वर एवं वादी सं. ② के पति का नाम रामूलाल के स्थान पर रामेश्वर हुकस्त कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की हुकस्त करवाते के आशय से पेश किया गया है।

इस संबंध में पटवारी हलका मीठावाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है।

वादी अधिवक्ता ने इक्तानुसार राजस्व रिकार्ड की हुकस्त करवाते के आदेश प्रदान करने हेतु विवेदन किया।

वादी अधिवक्ता को वादपत्र पर खुला गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करते एवं वादी अधिवक्ता को वादपत्र पर सुनते एवं पटवारी हलका मीठावाल की रिपोर्ट का अवलोकन करते पर न्यायदित को ध्यान में रखते हुए पटवारी हलका मीठावाल की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर रिकार्ड किया जाता है कि

...

फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम सरकार

आलय : सहायक कलक्टर, बस्सी

आद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 26/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वाढग्रह्ण्त आराजी खाता से. 58 कै खसरा न. 67, 67/1, 67/2, 67/3 एवं खाता से. 22 कै खसरा न. 76, 76/1 लगा 76/5, 81, 93, 93/1 लगा 93/5 स्थित ग्राम दीपुर प. ह. मीठावास भू. अ. कि. बांसखोह तह. बस्सी जि. जयपुर के राजस्व रिकार्ड में वादी से. ① रामूलाल के नाम के स्थान पर रामूलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र जयराम एवं वादी से. ② पप्पूरी के पति का नाम रामूलाल के स्थान पर रामूलाल उर्फ रामेश्वर अंकित किया जावे। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करे। डिक्ली पचा जारी है। इस आशय की तहरीर जारी है।</p> <p>पत्रावली फेलत सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाढ़ तकमाल दाखिल दफ्तर है।</p> <p>(काग)</p>	

अंतिम डिकी मुकदमा इक्टदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण

वादी

प्रतिवादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र जयराम
 2. पप्पूडी पत्नि रामेश्वर
- समस्त जाति सीना निवासी ग्राम
दोपुर पटवार हल्का भीठावास भू.
अ.नि. बांराखोह तह. बस्सी जिला
जयपुर।

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी
तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 26/2023

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि
वादग्रस्त आराजी खाता सं. 58 के ख.नं. 67, 67/1, 67/2, 67/3 एवं खाता सं. 22 के
ख.नं. 76, 76/1 लगा 76/5, 81, 93, 93/1 लगा 93/15 स्थित ग्राम दोपुर प.ह.
भीठावास भू.अ.नि. बांराखोह तह. बस्सी जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1
रामूलाल के नाम के स्थान पर रामूलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र जयराम एवं वादी सं. 2 पप्पूडी
के पति का नाम रामूलाल के स्थान पर रामूलाल उर्फ रामेश्वर अंकित किया जावे।
तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त
करने की कार्यवाही करें।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....
खर्चा.....इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज
की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.05.2024 को जारी किया गया।


मोहर
ओहदा



दस्तख्त.....
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

दुई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

ट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक क्लर्क
 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण